# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी :– श्री दुदा** **विपक्षी :– श्री गिरधारी**

**किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी.** **पत्रावली संख्या : 20/23**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 29.03.2023<br><br>पत्रावली अधिवक्ता वादी श्री देवराम डांगी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।<br>अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधिवक्ता वादी अन्य न्यायालय में उपस्थिति देने से दिनांक 28.03.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सकें। दिनांक 28.03.2023 को अधिवक्ता मय वादी की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही समयावधि से पूर्व ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 162/13 वाद अनवान दुदा बनाम गिरधारी दिनांक 28.03.2023 को वादी व अधिवक्ता वादी दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 28.03.2023 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.03.23 को समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित हैं।<br><br>**–: <u>आदेश</u> :–**<br><br>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 162/13 वाद दुदा बनाम गिरधारी में आदेश दिनांक 28.03.2023 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Shrikant Vyas<br>Date: 2023.04.18 10:54:20 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(श्रीकान्त व्यास)<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) मावली | |